सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/2018 **दायर तारीख :– 15.01.2018**

1. रामचन्द्र कटारिया पुत्र भैंरूराम कटारिया जाति बलाई निवासी खोरी तहसील शाहपुरा

—: प्रार्थी

बनाम

1. छोटी देवी पत्नी भरतमल
2. बाबूलाल } पुत्रान भरतमल
3. बनवारी }
4. रूडी देवी }
5. बनारसी देवी } पुत्रियान भरतमल
6. भगोती देवी }
7. नारायणी देवी पत्नी बोदूराम
8. चन्द्रप्रकाश } पुत्रान बोदूराम
9. जयप्रकाश }
10. कमलेश पुत्री बोदूराम
11. शम्भूदयाल पुत्र श्योदान

(क्रम 1 से 11) समस्त जाति माली निवासी बीजक रोड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 251—क की उप धारा (2)

उपस्थित :— श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :— 04.07.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251—क की उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि वाके ग्राम विराटनगर के हाल आराजी खसरा नम्बर 3606/0.50, 3612/0.15 हैक्टेयर जमाबन्दी संवत् 2073—2076 में प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा प्रार्थी अपनी आराजी में आने—जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 3610/0.25, 3611/0.24 व 3609/0.68 की उत्तरी दिशा की तरफ से 30 फुट चौडाई में रास्ता चाहा है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में आने—जाने के लिए उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी की भूमि में पहूंचने के लघुतम तथा निकटतम स्थिति [illegible] के द्वारा कालित रास्ता को जो कि हाल नक्शा ट्रेस में [illegible] दर्शाया गया है, उक्त भूमि राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:42:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित किया जाना तथा अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी निवादित किया जाना न्यायसंगत है, इसके संबंध में प्रार्थी उचित एवं न्यायसंगत प्रतिकर संदाय करने हेतु तैयार है।

2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 304 संवत् 2073–2076, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1021 संवत् 2073–2076 आदि पेश किये।

3. पत्रावली बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

4. तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

5. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 1021 में दर्ज खसरा नम्बरान 3606/0.50, 3612/0.15 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान 3609/0.68, 3610/0.25, 3611/0.24 हैक्टेयर की उत्तरी दिशा की भूमि मे से रास्ता चाहा गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी के आवाजाही हेतु चाहे गये रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 3609, 3610, 3611 की भूमि मे से है।

7. मुताबिक तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त प्रस्ताव प्रार्थी को अपने खसरा नम्बर 3606, 3612 में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 3609, 3610, 3611 की से लगते हुए उत्तरी सीमा से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना नियमानुसार उचित है। प्रार्थी के पास अपने खसरा नम्बर 3606, 3612 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 3609, 3610, 3611 के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उत्तर दिशा से चाहा गया रास्ता प्रार्थी की जोत में पहूंच हेतु उपयुक्त एवं युक्तियुक्त रास्ता है। तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी ने आपत्ति जाहिर की, तहसीलदार विराटनगर को पुनः मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी कि गई। तहसीलदार विराटनगर से पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2019 को प्राप्त हुई। प्रार्थी ने दिनांक 26.06.2019 को प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाने का निवेदन किया। उक्त रास्ता के काम आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 552 वर्गमीटर बनता है।

8. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मै, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने का रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता है। मौकास्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर की उत्तरी सीमा से 28 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई से कुल 112 मीटर में खसरा नम्बर 3610 मे 48

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:42:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लंबाई व 4 मीटर चौडाई से 192 वर्ग मीटर एवं खसरा नंबर 3611 में 62 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई से 248 वर्गमीटर अर्थात कुल 552 वर्गमीटर कीमतन रास्ता दिया जाना सुविधाजनक एवं सर्वसुलभ है। प्रार्थना पत्र मे चाहा गया रास्ता उपयुक्त एवं सुविधाजनक, युक्तियुक्त व फिजीबल है। जहां तक रास्ता में आई भूमि की प्रतिकार राशि का संबंध है, प्रार्थी देने को तैयार है, इसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिया जाना उचित है कि डीएलसी दर अनुसार गणना कर, डीएलसी दर की दोगुना राशि प्रार्थी से जमा कर उक्त राशि अप्रार्थीगण को अदा करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम विराटनगर तहसील विराटनगर मे स्थित अप्रार्थी खातेदारी खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 3609 की उत्तरी सीमा से 28 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई से कुल 112 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 3610 मे 48 लंबाई व 4 मीटर लम्बाई से 192 वर्ग मीटर एवं खसरा नंबर 3611 में 62 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडाई से 248 वर्गमीटर अर्थात कुल 552 वर्गमीटर की भूमि को प्रार्थी के पक्ष में रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों का अवसान किया जाता है तथा गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार प्रार्थी से डीएलसी दर की दोगुना राशि जमा कर इस प्रतिकार राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जावे। अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त सार्वजनिक रास्ते मे किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी के भी माध्यम से बाधा उत्पन्न नहीं करें, किसी भी रास्ते के उपयोग–उपभोग से नहीं रोके। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड मे अमल करें, नक्शे मे आवश्यक तरमीम करें, मौके पर पालना करना सुनिश्चित करें, साथ ही रास्ता की भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:42:28 IST
Reason: SelfAttested